राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015

राजस्व लोक अदालत ''न्याय आपके द्वार'' कैम्प 2015 ग्राम पंचायत बाघाना
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर भीम
(नरेन्द्र कुमार जैन पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट)
कैम्प कोर्ट का स्थान :- ग्राम पंचायत बाघाना

प्रकरण सं. – 15/2014 रे0वाद

निर्णय दिनांक –22.06.2015

अनवान

1. श्री खंगारा पिता पीथा जाति भील निवासी बाघाना तहसील भीम
2. श्री मांगु पिता पीथा जाति भील निवासी बाघाना तहसील भीम
3. श्रीमति मीरा पत्नि वनाराम जाति भील निवासी बाघाना तहसील भीम

प्रार्थी

बनाम

1. श्री पूनमचन्द पिता छोगालाल जाति मेघवाल निवासी बाडिया उबा भाटा तहसील भीम
2. श्री मिश्रीलाल पिता छोगालाल जाति मेघवाल निवासी बाडिया उबा भाटा तहसील भीम
3. श्रीमती देउ बेवा छोगालाल जाति मेघवाल निवासी बाडिया उबा भाटा तहसील भीम

अप्रार्थीगण

वाद–पत्र अन्तर्गत धारा 53, 54 एवं 188 आरटीए

यह कि ग्राम बाघाना पटवार हल्का बाघाना तहसील भीम में अन्य आराजियात के अतिरिक्त निम्न आराजियात वादीगण की मौरूषी होकर वादीगण के खाते व कब्जे मे चली आ रही है:–

खाता संख्या	खसरा नं.	रकबा			किस्म
		बीघा	विस्वा	विस्वांसी	किस्म
211	2052/36	04	00	00	बारानी 2
	कुल किता 01 रकबा 04 बीघा				

प्रतिवादीगण वादपत्र की कलम संख्या 1 में वर्णित आराजियात आए दिन वादी से लडाई झगडा करते है तथा वादी के उक्त भूमि के शान्तिपूर्वक उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है। प्रतिवादीगण वादग्रस्त जमीन पर जबरदस्ती लाठी के बल पर कब्जा करना चाह रहे है तथा वो वादीगण को उनकी जमीन पर शांति पूर्वक उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न कर रहे है इसके लिये प्रतिवादी संख्या 1 व 2 हमेशा वादी के साथ लडाई झगडा करते रहते है।

प्रतिवादीगण वादी के स्वामित्व व कब्जे शुदा उक्त आराजियात पर कब्जा करने की नियत से इनकी वादग्रस्त जमीन पर बनी पालडोल वगैरह को हटाने की कोशिश कर रहे है तथा वादी को उनकी उक्त भूमि के उपयोग उपभोग में बाधा उत्पन्न कर रहे है।

वादीगण बाहर कमाने जाते है व समय समय पर आकर अपनी कृषि भूमियो की देखभाल करते रहे है उक्त भूमि पर काश्त करते चले आ रहे है व निरन्तर उपयोग उपभोग करते चले आ रहे है।

वादी संख्या 1 सभी डेढ वर्ष पूर्व बाहर कमाने चला गया था तब पिछे से प्रतिवादीगण ने हमारी अनुपस्थिति का फायदा उठाकर उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया है उस पर फसल बो दी है व अब निरन्तर कह रहे है कि ये जमीन तो हमने ले ली है व अब उक्त जमीन का कब्जा नही छोडेंगे ताकत के बल पर प्रतिवादीगण उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया है।

प्रतिवादीगण हमारे खातेदारी व कब्जेशुदा भूमि को हडप करना चाह रहे है व जिस कारण से उन्होने दादागिरी से हमारी अनुपस्थिति का नाजायज फायदा उठाकर हमारे खातेदारी भूमि पर डेढ वर्ष पूर्व कब्जा कर लिया है व उस फसल बौ दी है व कुछ हिस्से पर निर्माण भी कर दिया है व अब कहने पर भी नही हटा रहे है व समझाने पर भी नही समझ रहे है व कह रहे है कि हमने तो उक्त भूमि पर कब्जा कर लिया है तुम हमारा कुछ नही बिगाड सकते है व मरने मारने पर आमादा हुए व कब्जा छोडने से इन्कार कर दिया जिस कारण से कब्जा लेने हेतु आप न्यायालय में वाद पत्र पेश किया जा रहा है। प्रतिवादीगण ताकतवर होकर बदमाश किस्म के व्यक्ति है हमे कब्जा नही देना चाह रहे है व ताकत के बल पर कब्जा उनके द्वारा हडप कर लिया गया है जो नही छोड रहे है।

अतः वादी का वादपत्र न्यायालय मे लम्बित होकर **राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2015 कैम्प बाघाना** मे पेश हुआ वादी एवं प्रतिवादीगणो को आपसी समझाईश कर आपसी राजीनामें से वादी का वाद स्वीकार किया जाता है। उपरोक्त वर्णित आराजियात मौजा बाघाना के खसरा नम्बर 2052/36 रकबा 04 बीघा किस्म बारानी 2 पर प्रतिवादीगणो को स्थाई निषेधाज्ञा द्वारा पाबन्द किया जाता है कि स्वयं या उनके नौकर, एजेन्ट, रिश्तेदार उक्त आराजियात में अनाधिकृत रूप से प्रवेश नही करे। उक्त आराजियात के उपयोग उपभोग मे बाधा उत्पन्न नही करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, भीम
पीठासीन अधिकारी राजसमन्द

Scanned by CamScanner